फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 311 प्रभात जयपुर, रविवार 14 जून, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

Twelve Hours from the Station

When Bapji finally comes back, he "looks like Elvis Presley," long sideburns and all. Then, the practical pivot: he hears that there are "thousands of people waiting," so, he changes clothes and arrives "Rajasthani."

Understanding Katan and Matka Silk

क्या दिसम्बर में होंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव?

चर्चा है कि चुनाव आयोग यूपी विधानसभा चुनाव निर्धारित समय फरवरी-मार्च 2027 से पहले दिसम्बर 2026- जनवरी 2027 के बीच करवा सकता है

- सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग यूपी के चुनाव निर्धारित समय से पहले कराने पर इसलिए भी विचार कर रहा ताकि चुनाव प्रक्रिया का 2027 की जनगणना प्रक्रिया से टकराव ना हो।
- इन अटकलों के बीच यह भी पता चला है कि कांग्रेस और सपा ने सीट बंटवारे पर वार्ता शुरु कर दी है। दोनों पार्टियां बिहार की गलती दोहराना नहीं चाहती, जहां सीट बंटवारें में देरी से कांग्रेस व आरजेडी को भारी नुकसान हुआ था।
- सपा और कांग्रेस दोनों ही चुनाव पूर्व समझौता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कांग्रेस चाहती है, बसपा भी इस गठबंधन का हिस्सा बने, पर मायावती ने यह विचार खारिज कर दिया।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जून। इस बात की अटकलों के बीच कि चुनाव आयोग इस साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें निर्धारित समय से पहले घोषित कर सकता है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे की बातचीत की प्रक्रिया तेज कर दी है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सफल साझेदारी के आधार पर ऐसा किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने हैं, लेकिन इस बात की चर्चा है कि इन्हें दिसंबर 2026-जनवरी 2027 में करवाया जा सकता है, ताकि 2027 की जनगणना प्रक्रिया के साथ टकराव न हो, जिसमें प्रशासनिक संसाधनों की काफी जरूरत होती है।

दोनों पार्टियों ने पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन वह प्रयोग असफल रहा था। अब दोनों दल 2017 की गलतियों से बचने के लिए सीटों की संख्या पर अत्यधिक जोर देने के बजाय "जीतने की संभावना" पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में सफल प्रयोग के बाद, जब सपा-कांग्रेस गठबंधन ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें जीती थीं, समाजवादी पार्टी पर दबाव है कि वह बड़ा दिल दिखाए और बड़ा भाई बनने की कोशिश न करे। सूत्रों के अनुसार, सपा फिलहाल कांग्रेस को 60-80 सीटें देने को तैयार है, जबकि कांग्रेस 80-120 सीटों की मांग कर रही है।

विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस को लगे जबरदस्त चुनावी झटके के बाद, उसके विभाजन की त्रासदी को देखते हुए, सपा और कांग्रेस दोनों के नेता समय से पहले चुनाव-पूर्व गठबंधन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस, बसपा नेता मायावती को भी इसमें शामिल करने की संभावना तलाश कर रही है, हालांकि बसपा प्रमुख ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

समाजवादी पार्टी के दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक (पीडीए) नारे के अनुरूप, कुछ ओबीसी और अल्पसंख्यक समूहों तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिये हैं।

बिहार में सीट बंटवारे में देरी से हुए नुकसान को देखते हुए, सपा और कांग्रेस यूपी में बातचीत में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी संभावना है कि सबसे पहले सपा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी।

'एयर बैग नहीं खुला, मारुति सुजुकी क्षतिपूर्ति दे'

जयपुर, 13 जून। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने एक्सीडेंट में कार के एयरबैग नहीं खुलने से हुई महिला की मौत मामले में विपक्षी मारुति सुजुकी इंडिया लि. का सेवादोष व कम्पनी को जिम्मेदार मानते हुए मृतका के परिजनों को 40 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। वहीं इस राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से 9 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देने के लिए कहा है। इसकेअलावा आयोग ने कंपनी पर 1.25 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है।

- उपभोक्ता आयोग ने एयर बैग नहीं खुलने से हुई महिला की मौत के लिए 40 लाख रूपए मृतका के परिजनों को देने के निर्देश दिए।

आयोग के अध्यक्ष डा.सूबेसिंह और सदस्य आशुतोष चौधरी व हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश मृतका की मां ललिता व भाई के परिवाद पर दिया। आयोग ने माना कि एक्सीडेंट के समय वाहन की सुरक्षा प्रणाली ने सही काम नहीं किया और इसके चलते एयरबैग नहीं खुले, जिससे चालक और यात्री को गंभीर शारीरिक नुकसान हुआ। यह

(शेष पृष्ठ 4 पर)

ममता बनर्जी के पुराने विश्वस्त सुदीप बंदोपाध्याय भी बागी सांसदों के साथ आए

सुदीप बंदोपाध्याय ने दिल्ली में भूपेन्द्र यादव के घर जाकर स्पीकर को भेजे जाने वाले पत्र पर साइन किए

- इस प्रकार बागी गुट का 20 सांसदों का कोरम पूरा हो गया है, अब बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से अलग गुट के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं और उन पर दलबदल विरोधी कानून का खतरा टल गया है।
- चर्चा है कि सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी, जो टीएमसी विधायक हैं, वे भी राज्य के बागी गुट में शामिल होने वाली हैं।
- इसी बीच अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय को पुलिस ढूंढ रही है और उनकी तलाश में पुलिस ने अभिषेक के घर पर देर रात रेड की।
- टीएमसी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि अभिषेक की सभी डील्स सुमित ही करते थे, अगर वे पुलिस के हाथ लग गए तो बहुत सारे राज फाश कर सकते हैं।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जून। तृणमूल कांग्रेस में बगावत अब एक नए चरण में प्रवेश कर गई है। लंबे समय से ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी और विश्वासपात्र रहे सुदीप बंद्योपाध्याय अब औपचारिक रूप से बागी गुट में शामिल हो गए हैं।

सुदीप बंद्योपाध्याय ने भाजपा नेता भूपेन्द्र यादव के घर जाकर लोकसभा अध्यक्ष को लिखे उस पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें बागी तृणमूल सांसदों को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इससे बागी गुट के बीसवें सदस्य को लेकर चल रही अटकलों का अंत हो गया।

चर्चा है कि पूरा बागी समूह सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर अपनी अलग पहचान का दावा करेगा। बागी गुट की एकजुटता को लेकर कुछ अनिश्चितता की बातें भी चल रही थीं और यह सवाल उठ रहा था कि क्या यह समूह वास्तव में एकजुट रह पाएगा।

बहरहाल, सुदीप के शामिल होने और स्पीकर को पत्र सौंपने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यह दावा किया जा सकता है कि नया समूह दलबदल विरोधी कानून के दायरे में नहीं आएगा। विद्रोही समूह की संख्या अब 29 निर्वाचित सांसदों में से 20 तक पहुंच गई है।

सुदीप बंद्योपाध्याय के खुले तौर पर बागी गुट में शामिल होने से यह भी स्पष्ट

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सोनिया गांधी मेदान्ता अस्पताल में भर्ती

सूत्रों ने बताया, एक छोटे मैडिकल प्रोसीजर के लिए सोनिया गांधी को भर्ती किया गया है

- पर अभी यह पता नहीं है कि यह मैडिकल प्रोसीजर किसी किस्म का है।
- इससे पहले मार्च में भी उन्हें सांस की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब सर्दी और प्रदूषण के कारण उनकी तबियत खराब हो गई थी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जून। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें एक छोटे-से मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना है।

अभी तक इस प्रक्रिया की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

राजस्थान से राज्यसभा सांसद, 79 वर्षीय सोनिया गांधी पिछले कुछ वर्षों से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं और दिल्ली सहित, अन्य स्थानों के अस्पतालों में कई बार उनका इलाज हो चुका है। इसी वर्ष मार्च में तबियत खराब होने पर उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उनके बच्चे, लोकसभा सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अस्पताल में मौजूद थे।

इससे पहले, जनवरी में भी उन्हें सांस संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने बताया था कि उनका ब्रॉन्कियल अस्थमा थोड़ा बढ़ गया है, जिसका कारण दिल्ली की सर्दियाँ और बढ़ता वायु प्रदूषण था।

वर्ष 2025 के दौरान भी सोनिया गांधी को कम से कम तीन बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिनमें पेट से जुड़ी समस्याएं और शिमला एवं दिल्ली में नियमित स्वास्थ्य जांच शामिल थीं।

पांच बार लोकसभा सदस्य रह चुकीं सोनिया गांधी पिछले दो दशकों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रही हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दो कार्यकाल पूरे किए हैं और पार्टी के संगठनात्मक तथा राजनीतिक मामलों में अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि उन्हें, शहर में बढ़ते वायु-प्रदूषण के कारण लंबे समय से खांसी की समस्या है और वे नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल आती रहती हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को 20 साल की सजा

जयपुर, 13 जून। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मनीष कुमार और अमित कुमार को दोषी ठहराते हुए, 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। अदालत ने कहा कि

- कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम का वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर अभियुक्त दुष्कर्म कर रहा था।

अभियोजन पक्ष पीड़िता की गवाही, चिकित्सकीय साक्ष्यों और दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर आरोप साबित करने में सफल रहा है। पीठासीन अधिकारी कैलाश चंद्र अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता ने घटना का क्रम स्पष्ट और सुसंगत तरीके से बताया। जिरह के दौरान भी उसके बयान में कोई ऐसा विरोधाभास सामने

(शेष पृष्ठ 4 पर)

आबकारी विभाग की दो अलग शाखाओं को एक करने के फैसले पर विवाद गहराया

हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग की सामान्य शाखा-निरोधक दल शाखा का एकीकरण करने के आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई

- हाई कोर्ट में राजस्थान आबकारी सेवा संघ की ओर से दायर याचिका के अनुसार सेवा से सम्बन्धित नियमों में संशोधन किए बगैर वित्त विभाग द्वारा दिए गए आदेश से कुल 351 पदों पर प्रभाव पड़ेगा।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि वित्त विभाग द्वारा दिए गए आदेश कर्मचारियों के की पदोन्नति, कर्मचारियों की वरिष्ठता तथा कर्मचारियों के अधिकारों के सम्बन्ध में कानूनी पेचीदगियां बढ़ाता है।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 13 जून। राजस्थान हाई कोर्ट ने आबाकारी विभाग की निरोधक बल शाखा और सामान्य शाखा को एक करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। न्यायाधीश चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की अदालत में आदेश में यह भी कहा है कि इस प्रकरण में अग्रिम आदेश या नियमानुसार नवीन नियम बताकर आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल का गठन किए जाने तक स्थगित किया जाता है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किए हैं और मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई तय की है। अदालत ने यह आदेश राजस्थानी आबकारी सेवा संघ की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सारांश सैनी व विनोद कुमार शर्मा पैरवी के लिए पेश हुए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि वित्त विभाग ने 01 जून को तीन आदेश पारित किये, जिनके तहत आबकारी विभाग की सामान्य शाखा व निरोधक शाखा का एकीकरण किया जाना था, इसके अतिरिक्त इन आदेशों के अनुसार, आबकारी आयुक्त के अधीन 8 संभाग स्तरीय अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल कार्यालय व दो राज्य स्तरीय आयुक्त प्रवर्तन कार्यालय का गठन किया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इन तीन आदेशों के अनुसार जयपुर व जोधपुर में जिला आबकारी अधिकारी का नाम परिवर्तन कर उपायुक्त आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल (विधि) कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस परिवर्तन से आबकारी परिवर्तन एवं निरोधक बल के अन्तर्गत, 111 कनिष्ठ आबकारी अधिकारी ग्रेड-1 तथा 175 आबकारी अधिकारी ग्रेड-द्वितीय का कार्यालय बन गये हैं, जो कि आबकारी अधीनस्थ सेवा नियम 1974 व संशोधित नियम 1976 के विपरीत है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को कहा है कि इन तीन आदेशों से नियम व कानून के विरूद्ध जाते हुए कुल 351 आबकारी परिवर्तन एवं निरोधक बल के अन्तर्गत सेवाकृत पदों पर अवैध तरीके से पदस्थापन किया गया है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि वित्त विभाग द्वारा 1 जून को इस सम्बन्ध में जारी आदेश न केवल नियमों के विरूद्ध हैं, बल्कि इस आदेश को अंजाम देने के लिए राज्य सरकार ने कोई अतिरिक्त नियम भी नहीं बनाए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इन आदेशों को जारी करने के कारण सीधी भर्ती से शामिल होने वाले व्यक्ति व पदोन्नति से पदोन्नत होकर संबंधित पद

(शेष पृष्ठ 4 पर)

परीक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरु

नई दिल्ली, 13 जून। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने अपनी परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और मानकीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से 'परीक्षा कर्मयोगी: परीक्षा अधिकारियों के लिए क्षमता-निर्माण

- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यह प्रशिक्षण विशेष रुप से नीट परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों और इनविज़िलेटर्स के लिये तैयार किया है।

कार्यक्रम' नामक डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के आईजीओटी कर्मयोगी भारत मंच पर उपलब्ध कराया गया है।

एनटीए द्वारा शनिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्रशिक्षण विशेष रूप से परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों और निरीक्षकों (इनविजिलेटर्स) सहित, उन

(शेष पृष्ठ 4 पर)

एमएनआईटी, जयपुर पर हिमाचल के जिला उपभोक्ता आयोग ने हर्जाना लगाया

कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने एमएनआईटी को एक अभ्यर्थी की फीस लौटाने और कानूनी खर्च तथा हर्जाने के तौर पर 25,000 रूपए देने का आदेश भी दिया

- घटना 25 फरवरी 2025 की है, जब शिकायतकर्ता अनिद्या ने कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी कि एमएनआईटी जयपुर जहाँ उसने एमबीए में प्रवेश लिया और फीस के रूप में 94,315 रूपए भी जमा करवाए थे।
- लेकिन बाद में फिर आईआईटी मंडी में प्रवेश मिलने के बाद उसने एमएनआईटी में प्रवेश रद्द करने और फीस वापस करने की मांग की।
- लेकिन, एमएनआईटी ने कुल फीस 94,315 में से मात्र 15 हज़ार ही लौटाए, जो कि संस्था की अपनी प्रोस्पैक्टस में दिए गए नियम का उल्लंघन था, इस पर छात्रा ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जून। एक महत्वपूर्ण फैसले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने जयपुर स्थित एक संस्थान को निर्देश दिया है कि वह उस छात्रा की पूरी फीस वापस करे, जिसने आईआईटी मंडी में सीट मिलने के बाद अपना दाखिला वापस ले लिया था।

आयोग ने छात्रा को मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए मुआवजा भी देने का आदेश दिया।

आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा तथा सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने संस्थान को 94,315 रुपये की पूरी राशि लौटाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, संस्थान को मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये तथा कानूनी खर्च के लिए 15,000 रुपये भी देने होंगे।

आयोग ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षा के केन्द्र होते हैं और उन्हें लाभ कमाने वाले व्यावसायिक संस्थानों की तरह काम नहीं करना चाहिए।

25 फरवरी 2025 को शिकायतकर्ता अनिध्या ने कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर के एमबीए पाठ्यक्रम (2023-25) में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। अस्थायी प्रवेश मिलने के बाद उन्होंने 26 जून 2023 को कुल 94,315 रुपये फीस जमा कर दी थी।

बाद में आईआईटी मंडी में प्रवेश मिलने पर, उन्होंने 1 अगस्त 2023 को अपना प्रवेश रद्द करने और फीस वापस करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध शैक्षिणक सत्र शुरू होने और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने से पहले किया गया था।

इसके बावजूद, संस्थान ने केवल 15,000 रुपये वापस किए और 79,315 रुपये अपने पास रख लिए। शिकायतकर्ता का आरोप था कि यह संस्थान की अपने प्रॉस्पेक्टस की धारा 4.7.2, तथा फीस वापसी संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनिवार्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने संस्थान पर सेवा में कमी का आरोप लगाया।

लेकिन संस्थान ने तर्क दिया कि यह संस्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के तहत संचालित "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" है और भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है, तथा यह यूजीसी या एआईसीटीई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। संस्थान ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता "उपभोक्ता" की परिभाषा में नहीं आती और संस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत "सेवा प्रदाता" नहीं है।

संस्थान ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने 1 अगस्त 2023 को प्रवेश वापस लेने के लिए आवेदन किया

(शेष पृष्ठ 4 पर)

ले.जनरल धीरज सेठ 30 जून को सेनाध्यक्ष का पद संभालेंगे

नई दिल्ली, 13 जून। केन्द्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को देश का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। अभी वे आर्मी स्टाफ़ के वाइस चीफ़ हैं। वे 30 जून को दोपहर से मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के सेवानिवृत्त होने पर कार्यभार संभालेंगे।

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला

- वे अभी आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ हैं।

के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए थे। लगभग चार दशकों के शानदार मिलिट्री करियर में उन्हें ऑपरेशनल, स्ट्रैटेजिक, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव मिला है, जिससे भारतीय सेना की युद्धक क्षमता में बदलाव हुआ है। उन्होंने अलग-अलग ऑपरेशनल माहौल में हर स्तर पर कमान संभाली है। उनकी कमान की जिम्मेदारियों में

(शेष पृष्ठ 4 पर)